अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2019/00026 श्री	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R- 2 हि 4 अनु. श्री शिवप्रकाश -चौहान श्री G A S, 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

जगदीश बनाम किशन गोपाल (2019/00026)

2.6.23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. को दिनांक 16.11.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा वकील प्रार्थी को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रश्न पर सुना गया। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित होने से ग्राम गुन्दाली की जमाबंद सम्वत 2069–2088 के खाता संख्या नया–पुराना 14–00 किता 5 रकबा 3.96 है० पर आगामी तारीख पेशी तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाकर पेशी दिनांक 19.12.2018 नियत की गई। तत्पश्चात प्रकरण जवाब हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 15.01.2019 को पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.11.2018 को पारित अन्तरिम स्थगन को बिना विवेचन किए हुए हटा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2019 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी मुतनाजा के बाबत् वाद पत्र विचाराधीन है, ऐसी सिथति में वाद पत्र के विचाराधीन रहते सूट लैण्ड को प्रोटेक्ट किया जाना न्यायिक दृष्टि से अनिवार्य है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक कानूनी स्थिति के विपरीत जाकर जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उपरोक्त आराजी मुतनाजा का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 की पुत्रवधु श्रीमती गंगादेवी पत्नि सत्यनारायण व श्रीमती सीतादेवी पत्नि गोविन्द वैष्णव को दिनांक 05.11.2018 को बेचान कर दिया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किये जाने के बावजूद भी धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति बाबत् विवेचन किये बिना ही अपने द्वारा पूर्व में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश को हटाया जाना विधि सम्मत नही है। माननीय न्यायालय ने अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01. 2019 को निरस्त किया जाकर ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण में प्रफोर्मा पक्षकार हैं।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. को दिनांक 16.11.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर ग्राम गुन्दाली की जमाबंद सम्वत 2069–2088 के खाता संख्या नया–पुराना 14–00 किता 5 रकबा 3.96 है० की आगामी तारीख पेशी तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे तथा तत्पश्चात दिनांक 15.01.2019 को पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.11.2018 को पारित अन्तरिम स्थगन को बिना विवेचन किए हुए हटा दिया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते बहस हेतु नियत है। माननीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CS CamScanner

26/2019/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अज...

जगदीश V/s किशनगोपाल

तारीख	2019/00026	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	R-2 अ 4 अ
पेशी	श्री शिवप्रकाश	श्री	G A G

(अनवरत) को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश से 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा प्रकरण संख्या 147/2018 में पारित आदेश दिनांक 15.01.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निस्तारण इस आदेश से 60 दिवस में करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अंकित विवादित आराजी की उभय पक्षकारान राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर